

6

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर
01/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा
04.01.2019

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
02.05.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री कमल गोयल पुत्र द्वारका प्रसाद गोयल एफ.बी.ओ मैसर्स विमल कुमार कमल कुमार गोयल छतरी चौराहा देवली जिला टोंक राज0 निवासी मकान नं. 59 प्रताप नारायणी कॉलोनी जयपुर रोड देवली जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स विमल कुमार कमल कुमार गोयल छतरी चौराहा देवली जिला टोंक राज0
- 3-श्री मुकेश गोयल पुत्र औमप्रकाश गोयल प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स वैभव ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0
- 4- मैसर्स वैभव ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0
- 5-श्री सहदेव सिंह कुशवाह पुत्र भवानी सिंह कुशवाह निवासी पीपली चौराहा विजय नगर अजमेर पार्टनर मैसर्स कुशवाहा फूड प्रोडक्ट्स पीपली चौराहा विजय नगर अजमेर राज0
- 6- मैसर्स कुशवाहा फूड प्रोडक्ट्स पीपली चौराहा विजय नगर अजमेर राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 02.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.08.2018 को समय सांय 12.32 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विमल कुमार कमल कुमार गोयल छतरी चौराहा देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री कमल गोयल पुत्र द्वारका प्रसाद गोयल मैसर्स विमल कुमार कमल कुमार गोयल छतरी चौराहा देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री कमल गोयल को गवाह के सामने फार्म नं 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कमल गोयल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack)के 250-250 ग्राम के 18 नग मे से 8 नग 250-250 ग्राम के पैक ज्यो का ल्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 8 नग 250-250 ग्राम चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक(Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) वास्ते



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

13

नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री कमल गोयल को रु0 400/- अक्षरे चार सो रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) 250 250 ग्राम के 2-2 नग अलग-अलग चार कागज के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1922 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1922 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. कमल गोयल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कथ करते समय श्री कमल गोयल ने मौके पर चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) बतोर वारन्टी मैसर्स वैभव ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 का खरीद बिल क्रमांक 2669 दिनांक 18.09.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/2884 दिनांक 06.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/463/एक्ट/2018/469 दिनांक 08.10.2018 अनुसार कमल गोयल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय आसाम कुशवाह प्रीमियम ब्लू पॉली पैक (Tea Assam Kushwah Premium Blue Poly Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री कमल गोयल पुत्र द्वारका प्रसाद गोयल एफ.बी.ओ मैसर्स विमल कुमार कमल कुमार गोयल छतरी चौराहा देवली जिला टोंक राज0 निवासी मकान नं. 59 प्रताप नारायणी कॉलोनी जयपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ती 3,000/- (अक्षरे तीन हजार रु0) अप्रार्थी श्री मुकेश गोयल पुत्र औमप्रकाश गोयल प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स वैभव ट्रेडर्स नेहरू



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

69

मार्केट देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000/- (अक्षरे तीन हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री सहदेव सिंह कुशवाह पुत्र भवानी सिंह कुशवाह निवासी पीपली चौराहा विजय नगर अजमेर पार्टनर मैसर्स कुशवाहा फूड प्रोडक्ट्स पीपली चौराहा विजय नगर अजमेर राज0 पर शास्ति 10,000/- (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
आसिस्टेंट जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0